

प्रेषक,

प्रभू दयाल,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,  
सिंचाई विभाग, उ०प्र०,  
लखनऊ।

2240  
18/10/10

सिंचाई अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक : 15 अक्टूबर, 2010

विषय: दिनांक 17-10-10 से 30-10-10 तक ऊपरी गंगा नहर की वार्षिक बन्दी किये जाने के संबंध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (पश्चिम), सिंचाई विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-6516/पश्चिम अनुभाग, दिनांक 29-09-10 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऊपरी गंगा नहर की वार्षिक बन्दी दिनांक 17-10-10 से 30-10-10 तक किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

उक्त बन्दी के दौरान बजट उपलब्धता के अन्तर्गत कार्य करायें एवं देनदारियाँ की स्थिति उत्पन्न न हो स्याये, सुनिश्चित किया जाये।

2- कृपया नहर बन्दी के विषय में सभी उपलब्ध संचार/ समाचार माध्यमों से स्थानीय कृषकों की जानकारी हेतु समुचित प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करायें। इस विषय में क्षेत्रीय मा० सांसद, मा० विधायकगण एवं अन्य मा० जनप्रतिनिधियों को व्यक्तिगत रूप से भी अवगत कराया जाये।

कृपया कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

( प्रभू दयाल )  
अनु सचिव।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- (2) कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- (3) प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- (4) सचिव, ग्राम्य विकास, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- (5) आयुक्त सहरनपुर/मेरठ/आगरा, उ०प्र०।
- (6) जिलाधिकारी, हरिद्वार।
- (7) प्रमुख अभियन्ता (परि० एवं नियो०), सिंचाई विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (8) निदेशक, कृषि विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (9) गन्ना आयुक्त, उ०प्र०, लखनऊ।
- (10) मुख्य अभियन्ता (परियोजना/अनुश्रवण/पश्चिम), सिंचाई विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (11) मुख्य अभियन्ता (गंगा), सिंचाई विभाग, उ०प्र०, मेरठ।
- (12) मुख्य अभियन्ता (मध्य गंगा), सिंचाई विभाग, उ०प्र०, अलीगढ़।
- (13) मुख्य अभियन्ता (पूर्वी गंगा), सिंचाई विभाग, उ०प्र०, मुरादाबाद।
- (14) मुख्य अभियन्ता, दिल्ली जल बोर्ड, वरुणालय फेज-02, करोल बाग, नई दिल्ली।

आज्ञा से,

( प्रभू दयाल )  
अनु सचिव।